203 43 69 केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई) में सीडीए पैटर्न का अनुपालन करने वाले सीपीएसई कर्मचारियों का वेतन संशोधन

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 14.10.2008, 20.01.2009 और 09.09.2010 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने और व्यय विभाग के दिनांक 19.03.2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 10/02/2011–ई.।।।/ए की प्रतिलिपि उपर्युक्त विषय में उल्लिखित सीपीएसई के लिए सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न करने का निदेश हुआ है।

2. व्यय विभाग के दिनांक 13.9.2012 के कार्यालय ज्ञापन और डीपीई के दिनांक 14.10.2008, 20.01.2009 और 09.09.2010 में दर्शाई गई शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अपने नियंत्रणाधीन ऐसे सीपीएसई (मूल रूप से डीपीई के दिनांक 12.06.1990 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित 69 सीपीएसई), जो सीडीए पैटर्न पर वेतनमानों का अनुपालन कर रहे हैं, की सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए उनके ध्यान में लाने का अनुरोध है।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 2 (54)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–**IX**/2012, दिनांक 08 जून, 2012)

*****

अति तत्काल

सं. 10/02/2011–ई.**III**/ए
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 19 मार्च 2012

विषय : केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 – सीसीएस (आरपी) नियमावली 2008 के नियम 10 के अंतर्गत संशोधित वेतन ढांचे में अगले वेतनवृद्धि की तारीख

सीसीएस (आरपी) नियमावली 2008 के नियम 10 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार संशोधित वेतन ढांचे में अगले वेतनवृद्धि की तारीख सभी के लिए समान रूप से हर वर्ष की 01 जुलाई होगी। 01 जुलाई को संशोधित वेतन ढांचे में 6 माह या उससे अधिक अवधि की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी वेतन वृद्धि स्वीकृत किए जाने के लिए पात्र होंगे। संशोधित वेतन ढांचे में 01.01.2006 की स्थिति के अनुसार वेतन निर्धारण के पश्चात पहली वेतन वृद्धि ऐसे कर्मचारियों को 01.07.2006 को स्वीकृत की जाएगी, जिनके लिए अगली वेतन वृद्धि की तारीख 01 जुलाई 2006 से 01 जनवरी 2007 के बीच हुआ करती थी।

2. स्टाफ साईड ने इस मुद्दे पर प्रतिवेदन दिया है और अनुरोध किया है कि ऐसे कर्मचारियों, जिन्हें फरवरी से जून 2006 के बीच वार्षिक वेतनवृद्धि दी जानी थी, को संशोधन पूर्व वेतनमान में 01.01.2006 की स्थिति के अनुसार एक वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाए।

3. आगे विचार करने पर और सीसीएस (आरपी) नियमावली 2008 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए माननीय राष्ट्रपति जी ने यह निश्चय किया है कि इन नियमों के नियम 10 के अंतर्गत किए गए विलेख में छूट देते हुए केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों, जिन्हें फरवरी से जून 2006 के बीच वार्षिक वेतनवृद्धि दी जानी थी, को एकबारगी उपाय के रूप में संशोधन पूर्व वेतनमान में 01.01.2006 को एक वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाए और इसके पश्चात उन्हें सीसीएस (आरपी) नियमावली 2008 के नियम 10 के अनुसार 01.07.2006 को संशोधित वेतन ढांचे में अगली वेतन वृद्धि दी जाएगी। पात्र कर्मचारियों का वेतन तदनुसार पुनः निर्धारित किया जाए।

4. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखाविभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, तो ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

(डीपीई का का. ज्ञा. सं. 2 (54)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–**IX**/2012, दिनांक : 08 जून, 2012)

*****